रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-84/2019/1508/22-2-2019-17(578)/2017

लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसागर (बन्दी संख्या-40289) पुत्र श्री झब्बू, निवासी ग्राम-मांझा, थाना-नीमगॉव, जनपद-लखीमपुर खीरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-365/80 भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अधीन दिनांक 15.09.1981 को मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2004 द्वारा यथावत रखा गया, की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर बन्दी की आयु 73 वर्ष होने, 15 वर्ष से अधिक अपरिहार सजा, 19 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2019/1508(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

3-पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in